

25/12

पञ्जावली आज रूँप कोट - येवरा में पेश हुई। पञ्जावली का रूपांतर पूर्व उ अवलोकन किया गया। राजस्व विभाग, जमाबन्दी सम्वत् 2069-72 के अनुसार ग्राम - येवरा के रूँप क्र. नं. 469, 494, 497, 1365/470 क्रिता - 4 का उल्लेख रक्का 2.42 है। के वादीगण एवं प्रतिवादी स. 1 रिपोर्ट सह खातेदार दर्ज रिपोर्टिंग उक्त रूँपि शामिल की गई है तथा रूँपि का विधिवत विभाजन वही हुआ है। चारा 53 के प्रावधान अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी के राजस्व रिपोर्ट में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा के अनुसार रूँपि का विभाजन कराके के आवेकरी है।

आदेश

वाउ पत्र लकीकरण किया जाता है तथा उपनिर्दिष्ट रिपोर्ट सह आदेश की दी जाती है कि ग्राम - येवरा की सरहद में रूँपि क्र. नं. 469, 494, 497, 1365/470 क्रिता - 4 रक्का 2.42 है। का वादीगण एवं प्रतिवादी स. 1 के मध्य राजस्व रिपोर्ट में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते इसे विधिवत विभाजन किया के आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उद्घरणकारी उक्त पक्षधारण की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव लीयर करें तथा मस नम्बरा के दो प्रतियों में न्यायालय हाज्रा में प्रस्तुत करें। डिडी पकी जारी है।

पञ्जावली ऊँसल सुभार होकर नम्बर 6 कलई तथा दाखिल दर्ज़ार है।

निर्णय आज दिनांक 25/12/18 को रूँप कोट - येवरा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्डाधी (सुभार)